

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार ..... (बून्दी)

सरकार बनाम

निर्णय

मु.नं. 30/2018 तारीख रजू. 15-1-2018 तारीख निर्णय 29/11/2018  
आज पत्रावली व मुकाम मारवीडा पेश हुई कि गैर सायल उपस्थित है/नहीं है। रिपोर्ट पटवारी भांव मारवीडा प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल श्री मुबारिक उल्लेख पुत्र श्री नूरकोहम जाति मुबारिक निवासी मारवीडा द्वारा आराजी खसरा नं. 548 रकबा 0.50 किस्म जमीन नहर मौजा मारवीडा पर संवत 20 74 में अतिक्रमण कर काशत/कब्जा कर लिया है। गैर सायल के नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम सन 1956/उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील शामिल मिसल किया गया। अतिक्रमी बावजूद तामील के भी हाजिर नहीं है। उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उसने कोई जवाब व सबूत पेश नहीं किया। अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा/काशत करके धारा 91 एल.आर. एक्ट / राज. उपनि. अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन किया है। गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अतिक्रमी श्री मुबारिक उल्लेख को आराजी खसरा नं. 548 रकबा 0.50 मौजा मारवीडा से बेदखल किया जाता है एवं लगान दर 12.00 से उक्त रकबा लगान 6.00 का 5.00 गुना में शास्ति 300 कायम की जाती है एवं फसल नीलामी फर्द तैयार करने व बेदखली हेतु पटवारी एवं भू. अभि. निरीक्षक को लिखा जावे तथा राजस्व लेखाकार एवं पटवारी को वसूली व जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया।

दिनांक 29/11/2018

नायब तहसीलदार  
तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
तहसील इन्द्रगढ़